संख्या-19 खेल विभाग/2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
खेल विभाग
उत्तरांचल,देहरादून ।

खेल अनुभागः देहरादूनः दिनॉक 25 मार्च, 2004

विषयः—हल्द्वानी स्टेडियम में स्टोर रूम के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक खेल के पत्र संख्या—3408/हल्द्वानी/स्टे0प0 /2003—2004 /दे0दून दिनांक 10 फरवरी 2004 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2003—04 में हल्द्वानी स्टेडियम में स्टोर रूम के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन को विपरीत वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा परिक्षणोपरान्त रू0 3.71 लाख (तीन लाख इक्कतर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये श्री राज्यपाल महोदय व्यय करने की स्वीकृत धनराशि को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नामर्त है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि केह मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ए)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

NIC-139

अतः प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि आगणन की एक प्रति राही कर निर्माण इकाई को शासनादेश के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति की जाती है कि मितव्ययी मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसा व्यय सम्बंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । व्यय करते समय मितव्ययता के संम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कडाई से अनुपालन किया जाय ।

3– उक्त व्यय वर्तमान वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेल कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –03–खेल कूद तथा युवक सेवा खेल कूद स्टेडियम–108–खेलकूद तथा युवा सेवायें–05–स्पोटर्स स्टे0 का निर्माण चालू कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2189ए वि0अनु0–2/2004 ,दिनॉक 24 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– /खे0वि0/2004, तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3– श्री एल0एम0पन्त अपर सचिव वित्त उत्तरांचल शासन।
4– निजि सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव